फर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगणः– [illegible] पुत्र मोहनलाल जाति [illegible] सा0 चाडवास तह0 सोजत

बनाम

अप्रार्थीगणः– [illegible] पुत्र मोहनलाल वगैरह जाति [illegible] सा0 चाडवास तह0 सोजत

किस्म मुकदमाः– राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट 1955 नंबर 83 / सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
19-09-2019	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनॉक 18-11-2019 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत (जिला –पाली)	नं. 712 20/9/19
18/11/19	[illegible] अन्य [illegible] में व्यस्त है/अवकाश पर है। अतः [illegible] 28/11/19 को पेश [illegible] उप खण्ड अधिकारी [illegible] सोजत	
28-11-2019	[illegible] प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी स्वयं व [illegible] दिनॉक 04-11-2019 का प्रा0पत्र बाबत विड्रॉवल बाजे [illegible] मूल वाद में पेश कर वाद-पत्र एवं प्रा0पत्र इंतकाल विथ [illegible] का वाद-पत्र एवं प्रा0पत्र का [illegible] चलाना नहीं चाहते। प्रार्थी एवं [illegible] के मध्य समझौता के मौजिब व्यक्तियों की उपस्थिति में राजीनामा हो चुका है लोक अदालत में आवश्यक [illegible] के मध्य राजीनामा हो चुका है। इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] वाद-पत्र [illegible] प्रकार प्रा0पत्र अन्तर्गत [illegible] 10-09-2019 की छपा प्रति ALA 1049/15 दिनॉक विड्रॉवल [illegible] पेश कर वाद-पत्र जरिए विड्रॉवल खारिज किया जाने की इल्तजा की है। पत्रावली प्रार्थी [illegible] उक्त प्रा0पत्र में वाद खारिज किया जाने की जरिए विड्रॉवल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर अब्रुट [illegible] वाद तवील जाकी पाबिल [illegible]। [illegible] जमा हो। SDO, Sojat.	

Scanned by CamScanner